20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

288

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण

महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सडक प्राधिकरण इकाई–2 सागर द्वारा महाप्रबंधक राजेश कुमार चौकसे पुत्र स्व. श्री पी.एल. चौकसे सागर तह. व जिला सागर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती सुमन पत्नी श्री जगदीश प्रसाद यादव निवासी केशबगंज वार्ड मछरयाई सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल सागर–1 तहसील व जिला सागर द्वारा प्र.कं. 9–अ/12 वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.1.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, अनावेदक ने ख. नं. 174/2 रकवा 5.173 हे. भूमि का सीमांकन कराने हेतु राजस्व निरीक्षक सागर–1 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रथम आदेश पत्रिका दिनांक 5.1.2015 को सीमांकन हेतु हल्का पटवारी एवं समस्त काश्तकारेां/ कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश जारी हो लेख किया है। अगली तिथि नियत नहीं की।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-830-एक/2015 जिला सागर

महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सडक प्राधिकरण विरूद्ध सुमन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल सागर-1 के प्रकरण क्रमांक 9/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30-01-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 21.01.19 (आर.के. जैन) सदस्य	